न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 537/2025

नरपत सिंह पुत्र अलसिंह व अन्य
बनाम
कस्तुर सिंह पुत्र पारूसिंह वगैरा

दिनांक 9 .12.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी गड़रारोड (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 39/2024 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रेस्पो0सं0 1–कस्तुरसिंह ने विप्रार्थीगण सं0 2, 4, 14–अपीलांट (व अन्य) के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील गडरारोड के ग्राम मौसेरी स्थित अपने खातेदारी खसरा नम्बर 283/193, 359/283, 360/283, 341/193, 357/341, 358/341 की उल्लेखित रकबा भूमि की मय ईमदाद पुलिस नेखमबंदी करवाने हेतु आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रकिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक हरसाणी को आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.25 पर, शेष प्रफोर्मा रेस्पो0 सं0 2 से 24 की सर्विस डिस्पेश विथ की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स खसरा नम्बर 196 व 192 के खातेदार हैं व इन खसरों में गायों के बाड़े

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बनाये हुए है तथा दोनो खसरों की रोड़ तरफ तारबंदी की हुई है, जिसे रेस्पो0सं0 1 अपनी भूमि के अन्दर आना बता रहे है। जबकि रेस्पो0सं0 1 की अपीलांट की खातेदारी के पास कोई जमीन नही है, दोनों के मध्य एक डामर सडक रामसर से हरसाणी की ओर चलती है। उस सडक के एक तरफ अपीलांट–अप्रार्थी तथा दूसरी तरफ रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी के खेत आए हुए है। इस रोड़ की वजह से दोनो के खेतो की गलत तरमीम हो गई व इस संबंध में अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत आवेदन वास्ते दुरूस्ती अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें दोनो पक्षकार व जमीन भी एक है, जिसका तर्क–वितर्क अपीलाधीन आदेश में अंकित नही किया गया है। अपीलांट की ओर से एक आवेदन अंतर्गत धारा 10 सीपीसी का दिनांक 31.1.25 को प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण नही किया गया। रेस्पो0सं0 1 व अपीलांट के बीच उक्त जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, इस कारण वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी का आवेदन स्वीकार योग्य नही है तथा वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान भी नही करवाया गया है। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से विस्तृत जवाब व प्रारम्भिक आपत्तियां मय नक्शा परिशिष्ट अ व ब प्रस्तुत किया गया, जिसका भी कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नही किया गया व इसे साईक्लो स्टाईल में पारित कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2017(2) पेज नम्बर 1084–1088 प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार होने से नेखमबंदी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य मौके पर विवाद होने के कारण, उसके द्वारा नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति एवं धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन खारिज करने हेतु आग्रह किया गया था। जिस पर अपीलाधीन आदेश वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रकिया अपनाते हुए वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु पारित किया गया। जो विधि अनुकूल होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रकरण में वादग्रस्त खसरान की सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अभाव है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में अपीलांट–अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियां एवं धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र के विचचन का भी अभाव है। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडरारोड (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 39/2024 अनवान कस्तुरसिंह बनाम हीरसिंह वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2025 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर, अपीलांट–अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियां एवं धारा 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का विधिक विवेचन के उपरांत, सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधि सम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 9/12/25 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

9/12/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर